

पुष्कर सरोवर में फिडरों के पानी के साथ गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ पहुंचा

पुरोहितों का आरोप है कि फीडरों के किनारे बने होटल और रिसोर्ट के अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं

पुष्कर, (निसं)। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तथा हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पवित्र पुष्कर सरोवर प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते अपनी दुर्दशा पर आँसू बहा रहा है। पवित्र सरोवर में जहां प्रतिदिन हजारों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वहीं प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही के चलते अब यह पानी दूषित होता जा रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों मछलियां दम तोड़ रही हैं। वहीं पवित्र सरोवर की दुर्दशा को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

जानकारी के अनुसार गत दो दिन की बरसात में पुष्कर सरोवर में अच्छे पानी की आवक के लिए बनाए गए करोड़ों रुपये की लागत फीडरों से गंदे बरसात के पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी पवित्र सरोवर में बहकर आ गई, जिसके चलते पवित्र सरोवर का पानी दूषित हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि पवित्र सरोवर की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण धीरे-धीरे अब पवित्र सरोवर की दुर्दशा होती जा रही है। फीडरों के आसपास बने होटल और रिसोर्ट का सारी गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में आ रही है



पुरोहितों ने सरोवर के पानी से स्वयं अपने हाथों से अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी निकाली।

तथा फीडरों की साफ सफाई नहीं करवाने के कारण सारी गंदगी बरसाती पानी के साथ पवित्र सरोवर में बहकर आ रही है। यही नहीं संतोषी माता की ढाणी और लैला सेवड़ी का सारा गंदा पानी भी खुलेआम फीडरों में आ रहा है, लेकिन इसकी प्रशासन और सरकार के द्वारा कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। बरसात में पवित्र सरोवर की पानी

की आवक अच्छी हो इसके लिए फीडर बनाए गए, लेकिन फीडरों के साफ सफाई तथा रख-रखाव नहीं होने के कारण अब यह फीडर गंदे पानी के नाले बन चुके हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन से मांग की है कि ऐसे रिसोर्ट और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में

डाला जा रहा है और ऐसे होटलों और रिसोर्ट को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि बरसात के समय में बरसाती पानी के साथ सारी गंदगी पवित्र सरोवर में आ रही है जिसके चलते पानी दूषित हो रहा है। तो वहीं श्रदालुओं की आस्था पर भी आघात लगा रहा है। सोमवार को भी ब्रह्म घाट पर स्थित पुरोहितों ने पवित्र

- फीडरों की साफ सफाई नहीं होने से सारी गंदगी पवित्र सरोवर में आ रही है, इससे प्रतिदिन हजारों मछलियां दम तोड़ रही हैं

सरोवर के पानी में अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी तैरती देखी, जिसके चलते पुरोहितों ने आक्रोश उत्पन्न हो गया और तुरंत प्रभाव से अपने हाथों से पवित्र सरोवर के जल से गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ निकाले। तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार प्रशासन से मांग की है कि पवित्र सरोवर सुध लेकर सरोवर की पवित्रता की रक्षा की जाए और सरोवर में आने वाले अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी की तुरंत प्रभाव से रोकथाम की जाए। इस दौरान मदन मस्त, बैजनाथ, दीपक पाराशर, भोला पाराशर, क्षेत्रपाल पाराशर, वैभव पाराशर सहित सैकड़ों तीर्थ पुरोहित मौजूद थे। वहीं गत दिनों मुख्यमंत्री की पुष्कर यात्रा के दौरान भी पुष्कर के तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर को बचाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, समस्या जस की तस है।

प्राणघातक हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। वाघपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित पर तलवार से प्राणघातक हमला करने वाले को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीड़ित ने 7 अप्रैल को प्रकरण दर्ज करवाया कि आरोपी ललित पुत्र चुनौताल निवासी मादड़ी मेरे पुत्र पर तलवार से प्राणघातक हमला कर फरार हो गया। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उपाधीक्षक नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में

वाघपुरा थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए आरोपी ललित को डिटेन कर पृथक्ताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी 001 गैंग का सक्रिय बदमाश होकर इसके खिलाफ छह अपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर ऋषभदेव थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए दो वर्ष से फरार स्थाई वारंटी हाजा पुत्र रतना निवासी उमगणा कोटड़ा ऋषभदेव को गिरफ्तार किया।

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJ JAIPUR
H-1(10)/Pcs/Hath/E-Tender/2025/7494
Dated-3.6.2025

NOTICE INVITING BIDS
NIB NO. POL2526A0005

Bids for Capsis Spray (Chilli Spray), Capsi Grenade(Chilli Grenade) & Tactical Engagemnt Simulator System of estimated value INR 2,76,50,000/- are invited from interested bidders up to 26.06.2025 at 11.00 am. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.gov.in> of the state website. The approximate value of the Procurement is Rs. 15797033.00
UBN No.- 1. PWD2526WSOB03051

(Yashpal Tripathi)
Supdt. of Police Central Stores, PHQ
Rajasthan, Jaipur
Tel-0141-2744289

DIPRC/7570/2025
Mail ID-sp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चिंतौगढ़

क्रमांक-टी.एस./2025-26/टी-569
दिनांक-30.05.2025

NOTICE INVITING BID-09/2025-26

Bids for Construction of Atal Pragati Path Satpura Road to Retulya Chowk (Ghosunda) in Division Chittorgarh Procurement are invited from interested Bidders upto 6.00 PM of 16.06.2025 Other particulars of the Bid may be visited on the Procurement Portal (<http://sppp.raajasthan.gov.in>, <http://eproc.raajasthan.gov.in>) of the state website. The approximate value of the Procurement is Rs. 15797033.00
UBN No.- 1. PWD2526WSOB03051

Executive Engineer
PWD Dn. Chittorgarh

DIPRC/7397/2025

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर

क्रमांक-एफ/स्टोर/उवस/2024-25/11454
दिनांक-16/06/25

ई-निविदा विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा रैंज फागी में अधीन एन. एच. - 52 जयपुर से देवली खंड चेयनेज संख्या 03 किलोमीटर से 27 किलोमीटर दूरी में तार फैसिंग एवं पोथे सलाई कार्य की ई-निविदा इस कार्यालय के राजकाज नम्बर 15674141 दिनांक 03.06.2025 एवं 15667796 दिनांक 03.06.2025 ई-विज्ञापित जारी की गई थी। ई-निविदा विज्ञापित अखबार में प्रकाशन नहीं होने के कारण दिनांक 18.06.2025 को निर्धारित है। उक्त निविदा को संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in>, And www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
UBN NO. (FOR2526WSOB00394) Date 03-06-2025
UBN NO. (FOR2526GLOB00393) Date 03-06-2025

उप वन संरक्षक, जयपुर

DIPRC/7898/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम

क्रमांक : 409-417
दिनांक: 02-06-2025

ई-निविदा सूचना संख्या: 02/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला करौली (खण्ड टोडाभीम) में अटल पथ, सड़क नवीनीकरण एवं भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठन/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
1. PWD2526WSOB03351, 2. PWD2526WSOB03358
3. PWD2526WSOB03366, 4. PWD2526WSOB03368
5. PWD2526WSOB03370, 6. PWD2526WSOB03377

(के. के. मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड टोडाभीम

DIPRC/7512/2025

Office of Additional Chief Engineer PHED, Region Bharatpur

Telephone No 05644-221500, Email: rj_acebha@nic.in

Notice Inviting Bid No. 02-05/2025-26

Online bids for NIT No. 02-05/2025-26 (04 work), Costing Rs. 575.00 Lacs is invited on behalf of the Governor of Rajasthan from eligible enlisted in appropriate class contractors of PHED, Rajasthan and meeting eligibility criteria. Contractors enlisted with other departments of Government of Rajasthan and enlisted with CPWD/ Postal/ Telecom/ Railways/ MES/ other State Government/ Central Government undertakings/organization in class equivalent to 'A/ AA' class of Rajasthan (as applicable) and meeting prescribed eligibility criteria may also apply. Details of this Bid notification and pre-qualification criteria can be seen in NIB exhibited on web site www.dipr.raajasthan.gov.in, <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> and <http://eproc.raajasthan.gov.in>. Bids are to be submitted online electronic format on web site <http://eproc.raajasthan.gov.in> from 04-06-2025 to 19-06-2025 (6PM) & Bids are to be open at 11.00 AM on 20-06-2025.

NIB Code: PHE2526A1523
UBN No.- PHE2526WSOB03135
PHE2526WSRC03136
PHE2526WSRC03137
PHE2526WSRC03138

(Mohan Lal Meena)
Addl. Chief Engineer
PHED, Region Bharatpur

DIPRC/7502/2025

दो सूने मकानों में चोरी

उदयपुर, (निसं)। शहर के गोवर्धन विलास एवं सविना थाना क्षेत्र में सूने मकान से चोर जेवरत व नकदी चुरा ले गए। शहर के सक्रिय चोर गिराह के बदमाश शहर में जारी तलाशी अभियान एवं पुलिस गश्त के बावजूद बारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र आरएचबी कॉलोनी चुंगीनाका स्थित दुर्गेशपुर लौलाराम गर्ग के सूने मकान का चोर ताला तोड़कर सोने की 3 चेन, दो ईयरिंग, चांदी के सिक्के चुरा ले गए। दह जून को दुर्गेश नौकरी पर गया था एवं पत्नी अपने पीहर गई थी। नौकरी से लौटने पर घर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। इस पर तलाशी ली तो जेवरत व नकदी गायब थी। इस पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। इसी तहर शहर के सविना थाना क्षेत्र लालमगरी निवासी भगवानलाल पुत्र मावा मेघवाल के सूने मकान का 15 जून को अज्ञात चोर ताला तोड़ सोने का मादलिया, चांदी की चेन, ब्रासलेट चांदी का तथा 10 हजार रुपये नकदी चुरा ले गए।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारियों से पांच से छह करोड़ रुपये का उधार में कपड़ा मोवाकार खुर्द-बुर्द करने के मामले में गुजरात के भावनगर के छह लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रताप नगर थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल स्टेट, पॉसल चौराहा स्थित बालाजी रेयॉंस पार्टनर मनीष कोठारी ने निर्मल हर्सेजा निवासी भावनगर गुजरात सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया गया कि आरोपियों ने परिवादी की कम्पनियों को विश्वास में लेकर करीब 5-6 करोड़ रुपये का कपड़ा मंगवा लिया, जिसे धोखाधड़ी कर खुर्द-बुर्द कर दिया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच को। इसके बाद एएसआई चिराग अली के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को भावनगर गुजरात भेजा गया।

टीम ने इस मामले में रसाला कैम्प, भावनगर निवासी खटयाणी कमलेश (36) पुत्र उधमदास, बालचंदानी रमेश (55) पुत्र तोतलदास निवासी इन्द्रप्रस्थ प्लेट दिवड़ी रूपाणी सकिंल,भावनगर, घमेजा अजय भाई (34) पुत्र रूपचंद भाई निवासी रसाला कैम्प भावनगर, रजाई तरुण (26) पुत्र सुरेश भाई कृष्णा बंसरी

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां एक होटल के कमरे से युवती की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। देर रात होटल की दूसरी मंजिल पर हुई इस घटना में युवती की मौत के कारणों की जांच में पुलिस जुटी है। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, मृतका शनिवार दोपहर को अकेली होटल में ठहरी थी। देर रात जब होटल का एक वेंटर रूटीन चेक के लिए दूसरी मंजिल पर गया तो उसे एक कमरे से धुएं की गंध और आग जलने की बदबू आती महसूस हुई। कमरे के बाहर जाकर देखा तो धुआं निकलता दिखाई दिया, जिस पर उसने तत्काल अन्य स्टाफ को सूचित किया। होटल स्टाफ ने जब देखा कि कमरा अंदर से बंद है तो दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए। बिस्तर पर युवती का

- आत्महत्या की आशंका जताई, हरियाणा की रहने वाली थी युवती
- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

बुरी तरह जला हुआ शव पड़ा था। घटना की सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। युवती की पहचान और उसके आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी

करोड़ों रुपये का कपड़ा उधार मंगवाकर खुर्द-बुर्द किया, छह गिरफ्तार



भीलवाड़ा शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने गुजरात के भावनगर के छह लोगों को गिरफ्तार किया।

रमेश (55) पुत्र तोतलदास निवासी इन्द्रप्रस्थ प्लेट दिवड़ी रूपाणी सकिंल,भावनगर, घमेजा अजय भाई (34) पुत्र रूपचंद भाई निवासी रसाला कैम्प भावनगर, रजाई तरुण (26) पुत्र सुरेश भाई कृष्णा बंसरी

अपार्टमेंट न्यू सिंधुनगर भावनगर, डेढी हिम्मत भाई (44) पुत्र शाजी भाई मीरा पार्क, सब्जी मार्केट घोधा रोड भावनगर व सरदारनगर, भावनगर निवासी जेसानी सुरेश (43) पुत्र गोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस

आरोपितों से पूछताछ कर रही है। टीम में एएसआई चिराग अली के साथ दीवान सुनील कुमार, कांस्टेबल रामनिवास, राफल सिंह, नरेंद्र, आशीष, पिंटू शामिल थे, जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया है।

एमजीएस यूनिवर्सिटी में कुलपति और विधायक के बीच विवाद गहराया

घाटे का बजट जारी करने का आरोप, मामला राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचा

बीकानेर, (निसं)। महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी (एमजीएसयू) में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बोम) की बैठक को लेकर कुलपति और श्रीद्वारगढ़ विधायक के बीच विवाद गहरा गया है। विधायक ने कुलपति पर नियमों की अनेकड़ी कर बैठक आयोजित करने और घाटे का बजट जारी करने का आरोप लगाया है। मामला अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। यहां आयोजित बोम की बैठक में सदस्य के रूप में उपस्थित श्रीद्वारगढ़

विधायक ताराचंद सारस्वत ने बैठक की वैधता पर ही सवाल उठाए। उनका कहना है कि बोम में मनोनीत सदस्य का मनोनयन नहीं होने के कारण बैठक नहीं की जा सकती थी। विधायक की आपत्ति पर कुलपति मनोज दीक्षित ने शासन से स्वीकृति का हवाला दिया, लेकिन कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया। विवाद का मुख्य मुद्दा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है, जिसमें 15,591 लाख रुपये की आय के मुकाबले 17,936 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया है। करीब दो हजार

करोड़ रुपये के इस बजट पर विधायक ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप है कि कुलपति ने बैठक में बजट स्वीकृतन करने की सहमति जताई थी, लेकिन बाद में इसे स्वीकृत कर दिया गया। विधायक सारस्वत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बजट को संशोधित करने और धन के दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। उन्होंने कुलपति पर बिना अनुमति बैठक बुलाने और मना करने के बावजूद घाटे का बजट जारी करने का आरोप लगाया है। कुलपति मनोज दीक्षित का कहना

है कि बैठक नियमानुसार आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि विधायक ने बैठक के दौरान कोई लिखित आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने धन के दुरुपयोग के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि विधायक की शिकायत का जवाब सक्षम स्तर पर दिया जाएगा। इस विवाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठ रहे हैं।

आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा आज व कल

अजमेर व जयपुर के 77 केंद्रों पर 21 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा - 2024 की दो दिवसीय परीक्षा मंगलवार और बुधवार को आयोजित होगी। परीक्षा में प्रदेशभर के 21 हजार 440 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

आयोग के सचिव ने बताया कि दो दिवसीय आरएसएस मुख्य परीक्षा 17 मंगलवार व 18 बुधवार को अजमेर के 29 तथा जयपुर के 48 परीक्षा केंद्रों सहित कुल 77 केंद्रों पर दो पारियों में आयोजित होगी। प्रथम पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पारी

दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 3.75 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से 21 हजार 539 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। वहीं आयोग ने 1 हजार 680 अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि दो अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय में याचिका के चलते रोक दिया गया है। मूल रूप से 733 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती के पदों की संख्या 17 फरवरी 2025 को बढ़ाकर 1 हजार 926 कर दी गई है। इसमें राज्य सेवा के 498 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद सम्मिलित हैं। आयोग ने 14 जून को ही परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। परीक्षा केंद्र की जानकारी भी एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 60 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। आवश्यक दस्तावेजों में अभ्यर्थी को मूल रीनी आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जालोर

क्रमांक: अअ /वृत्त/अ/2025-26/475-491
निविदा सूचना संख्या : 05 वर्ष 2025-26
NIB No. PWD2526A0985

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जालोर शहर की रिंग रोड निर्माण हेतु डीपीआर के कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठन/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रु. 110.00 लाख है, अतः उक्त कार्यों के लिए इंटेंडिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख 09 जुन 2025 प्रतः 10.00 बजे से 30 जुन 2025, सायं 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट <http://dipr.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> व <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। समूचा निविदा प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर <http://dipr.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
NIB NO. PWD2526A0985

क्र.सं. यूबीएन नं.
1 PWD2526SLOB0222

(डी.आर.माधव)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त, जालोर
मोबाईल 9414325400

DIPRC/7460/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त टोंक

क्रमांक: 680-90
दिनांक: -03.06.2025

निविदा सूचना संख्या-04/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से Consultancy Services for Preparation Detailed Project Report (DPR) and Project Management for Construction of Ring Road of Tonk City (Including fixing of alignment and design of 2-Lane road with paved shoulders and 2 nos Interchanges with NH-52 and NH-552 and preparation of land acquisition plan इत्यादि में कार्य (1 कारी) हेतु इत्यादि कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठन / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में (Working Consultants) से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रु. 110.00 लाख है, अतः उक्त कार्यों के लिए इंटेंडिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट <http://dipr.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। फैंकजाईईड यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
NIB CODE: PWD2526A1007
UBN NO.- PWD2526SLOB03299

(एच.एल.मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त टोंक

DIPRC/7498/2025

राजस्थान सरकार					
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर					
क्रमांक: निदे / अ.ख.अ.नौलामी / निलामी (ML 05) / 2025 / ई - 11399					
ई-नौलामी विज्ञप्ति					
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है। संबंधित विवरण इस प्रकार है:-					
जिला	तहसील	राजस्व नाम	खनिज	कुल प्लॉट	
घोलपुर	सरणपुरा	काछपुरा	सेमन्टस्टोन	5	
झुंझुनू	खेतकी	नालपुर	मेसेनरी स्टोन	1	
झ्यावर	बिजयनगर	स्पाईसी बूई	केनाईट, मेसेनरी स्टोन	7	
बून्दी	बून्दी	गुगर	दौज स्टोन	5	
कोटा	लाडपुरा	गवासा	मेसेनरी स्टोन	1	
		मोदविया	मेसेनरी स्टोन	1	
		फलवडी	केनाईट	13	
सिरोही	सिरोही	पलवरा	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	2	
चित्तौड़गढ़	बदेसर	श्रीमलदे	चाईना बले, क्वार्ट्जाइट एवं मेसेनरी स्टोन	1	
		सोमवास	चायन बले, क्वार्ट्जाइट व मेसेनरी स्टोन	1	
		गंगरार	अमरपुरा	केनाईट व मेसेनरी स्टोन	17
भीलवाड़ा	बनेड़ा	स्पाईसी बूई	केनाईट	5	
	हमीरगढ़	दलेखिंदी का क्षेत्र	चायना बले, मेसेनरी स्टोन (क्वार्ट्जाईट)	1	
	आरौन्दी	ईन्द्रपुरा	केनाईट	10	
		कटार	केनाईट	10	
		टीलमगढ़	केनाईट	3	
		संकाह का बाडिया	केनाईट	1	
भीलवाड़ा	बिजौलिया	देवनगर	एम-सेण्ड के निर्माण हेतु ओवरचार्जिंग एवं परमिट	1	
		देवनगर, सरकीकुडी	एम-सेण्ड के निर्माण हेतु ओवरचार्जिंग एवं परमिट	1	
प्रतापगढ़	छोटीसादवी	जीनपुरा	मेसेनरी स्टोन	5	
		जीनपुरा	मेसेनरी स्टोन	8	
प्रतापगढ़	धरियावाड	लेहगढ़	मारबल	1	
झूंगरपुर	झूंगरपुर	दामड़ी	मेसेनरी स्टोन	3	
		दामड़ी	मेसेनरी स्टोन	3	
		कोलिया	मेसेनरी स्टोन	10	
डीडवाना-कुचामन	डीडवाना	कोलिया	मेसेनरी स्टोन	10	
उदयपुर	घांसा	चन्देसरा	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	2	
	खैरावाड़ा	चंजोरिया	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	2	
		मिर्झागुडी	सोपस्टोन व मेसेनरी स्टोन	2	
	मावली	चन्देसरा	मेसेनरी स्टोन	5	
	नयागांव	महीडा	मेसेनरी स्टोन	1	
		नयागांव	मेसेनरी स्टोन	2	
		महीडा	मेसेनरी स्टोन	2	
झूंगरपुर	सीमलवाड़ा		मेसेनरी स्टोन	6	
		पाठोली	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	3	
			मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	1	
		सीयत	मेसेनरी स्टोन	9	
		झूंगरपुर	अंतरक्षेत्र	मेसेनरी स्टोन	1
				मेसेनरी स्टोन	6
		दोवड़ा	मच्छीया	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हटु)	2
झूंगरपुर	दोवड़ा	फलोडा	मेसेनरी स्टोन	1	
दीसा	दिकराय	कावली	मेसेनरी स्टोन	1	
जयपुर	रागपुरा डाबडी	खौर पयामदास	मेसेनरी स्टोन	1	
जोधपुर	आमिया	पाहनगर	मेसेनरी स्टोन	13	
जैसलमेर	जैसलमेर	हड्डा	साइमस्टोन (साइमस्टोन)	15	
नागौर	रियावड़ी	चिचविया	केनाईट	6	
	हेगाना	हरसरई	मेसेनरी स्टोन	5	
	लाडनू	काकविया	मेसेनरी स्टोन	7	
टोंक	मालपुरा	भूखम्बाजियान	केनाईट	13	
अजमेर	गिनाय	राज्जियाय	केनाईट व मेसेनरी स्टोन	1	
		सागर	मारबल		
बाइनेर	बावतु	करनौलीय कक चारनौली (नौसर)	मेसेनरी स्टोन	1	
राजसमेद	गज्यदास	लौकरा	केनाईट	1	
कुल				227	
विशेष नोट:-					
1. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
2. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
3. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
4. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
5. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
6. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
7. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
8. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
9. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
10. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
11. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
12. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
13. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
14. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
15. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
16. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
17. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
18. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
19. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
20. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
21. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
22. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
23. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
24. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
25. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
26. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
27. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
28. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
29. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
30. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
31. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
32. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
33. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
34. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
35. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
36. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
37. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
38. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
39. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
40. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
41. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
42. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
43. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
44. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
45. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
46. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
47. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
48. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
49. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
50. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
51. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
52. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
53. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
54. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
55. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
56. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
57. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
58. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
59. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
60. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
61. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
62. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
63. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
64. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
65. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
66. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
67. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
68. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
69. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
70. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
71. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
72. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
73. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
74. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
75. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
76. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
77. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
78. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
79. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
80. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
81. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
82. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
83. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
84. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
85. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
86. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
87. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
88. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
89. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
90. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
91. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
92. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
93. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
94. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
95. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
96. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
97. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017 के अध्याय-114 के तहत निर्माणित स्ट्रीटों के अखण्ड ई-नौलामी के माध्यम से भिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खोली आमंत्रित की जाती है।					
98. राजस्थान अखण्ड विकास निगमवली, 2017					